(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–धार 9274-PBR/16

जगदीश पुत्र श्री बाबूलाल राठौर
निवासी – ग्राम तीसगॉव तहसील व
जिला धार (म.प्र.)

.... प्रार्थी

श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा आज दि 30-11-16 को प्रस्तुत
कार्यालय ऑफ कोर्ट 30-11-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला धार (म.प्र.)

...... प्रतिप्रार्थी

30/11/16 दिवाकर दीक्षित (PS)

मानीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3545/पी.बी.आर/2016 पुनरीक्षण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

628 30-11-16

(1) यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धार द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 18.07.2016 एवं 20.07.2016 पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3545/पी.बी.आर/2016 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 02.11.2016 नियत की गई थी।

(2) यहकि, उक्त तारीख पेशी अभिभाषक की दैनिक डायरी में नोट करने से रह गयी थी इसलिये वह उक्त तारीख पेशी दिनांक 02.11.2016 को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। और प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.11.2016 पारित कर प्रकरण अदम पैरवी मे निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि अभिभाषक की मानवीय त्रुटि होने के कारण प्रकरण उनकी दैनिक डायरी में नहीं था ऐसी स्थिति मे मानवीय आधार पर प्रकरण को पुनः स्थापित किया जाना चाहिये था।

(3) यहकि, प्रार्थी का यह कार्य होता है कि वह अपने प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही करें। चूंकि प्रार्थी जिला धार के निवासी है। ओर वह कानून की बारिकियों से अनभिज्ञ है। ओर इसी दृष्टि से उनके द्वारा ग्वालियर के स्थानीय अभिभाषक को प्रकरण में पैरवी करने का अधिकार दिया गया था। इस संबंध में उन्हे विधिवत् रूप से प्रकरण के दस्तावेज तथा फीस प्रदान की गयी थी। ऐसी स्थिति में यदि अभिभाषक प्रकरण में तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हुये है। तो इसका दोष अथवा आरोप प्रार्थी पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टोरेशन 9274–पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
7–12–16	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन पर सुना गया । पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण कमांक 3545–पीबीआर/2016 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	